



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

DIN-20230358MB0000222495

दिनांक Date : 29.03.2023

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE No. 06/2023

विषय: कोचिन कूरियर टर्मिनल पर एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम(ई सी सी एस) का कार्यान्वयन-
के संबंध में।

Subject: Implementation of Express Cargo Clearance System (ECCS) at Cochin Courier Terminal – reg.

व्यापार, संरक्षकों, प्राधिकृत कूरियरों तथा सभी संबद्ध का ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2021 दिनांक 18.02.2021 की ओर आकर्षित किया जाता है। जिसमें एक्सप्रेस क्लियरेंस सिस्टम(ई सी सी एस) के अंतर्गत सी बी ई/सी एस बी के प्रस्तुतीकरण तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया दर्शाई गई हैं।

Attention of the Trade, Custodian, Authorized Couriers and all concerned is invited to Public Notice No.04/2021 dated 18.02.2021 prescribing procedure for presenting and processing of the CBEs/CSBs under Express Cargo Clearance System (ECCS).

2. यह पाया गया है कि, प्राधिकृत कूरियर, कूरियर बिल ऑफ एंट्री को प्रस्तुत करते समय सभी वस्तुओं को कॉलम 19 (IV) में एक साथ प्रविष्ट कर देते हैं जो "माल के विवरण" के लिए निर्दिष्ट होती है तथा अधिकारी बिल ऑफ एंट्री का उसी फार्मेट में मूल्यांकन कर रहे हैं। सार्वजनिक सूचना 04/2021 दिनांक 18.02.2021 कॉलम 18 में प्रत्येक एच ए डब्ल्यू बी(HAWB) में शामिल वस्तुओं की संख्या को अलग से प्रविष्ट करने के लिए वस्तुवार विवरण के भरे जाने का विकल्प प्रदान करता है।

It is noticed that the authorized Couriers while presenting the Courier Bill of Entry enter all the items together in Column 19 (IV) meant for entering the "Description of goods". The Forms prescribed in the Public Notice 04/2021 dated 18.02.2021 allows for filing of item-wise details separately by entering the number of items included in each HAWB in the Column 18.


3. ई सी सी एस मॉड्यूल सभी एच ए डब्ल्यू बी(HAWB)(स्क्रीन शॉट संलग्न) में स्थित अतिरिक्त सामग्री को प्रविष्ट करने का प्रावधान करता है। बल्क(एक साथ) अपलोड की सुविधा में भी इसी प्रकार की सुविधा है। सभी संबद्धों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा फार्मों का अनुसरण निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सूचना संख्या 06/2023 दिनांक 28.03.2023 में हितधारकों का ध्यान इस विषय

की ओर आकर्षित किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया से कोई भी विचलन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही को आमंत्रित करेगा।

The ECCS Module has the provisions to enter Additional Items in each HAWB (Screenshot enclosed). The bulk upload facility also has similar facility. All concerned are required to follow the prescribed procedures and forms scrupulously. Any deviation from the prescribed procedure would invite action under the relevant provisions of the Customs Act, 1962.

4. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई के होने पर इसे सीमा शुल्क अपर/ संयुक्त आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेडुंबाशेरी को सूचित किया जाए।

Any difficulty in the implementation of this Public Notice should be reported to the Additional / Joint Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Cochin International Airport, Nedumbassery.



(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति To

1. सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम जोन
The Chief Commissioner of Customs, Thiruvananthapuram Zone
2. अपर/ संयुक्त आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेडुंबाशेरी
The Addl/Joint Commissioner, Air Cargo Complex, Cochin International Airport, Nedumbassery
3. सभी उप/सहायक आयुक्त, कूरियर टर्मिनल, कोचिन All Deputy / Assistant Commissioners, Courier Terminal, Cochin.
4. मेसर्स सी आई ए एल, कोचिन M/s.CIAL, Cochin
5. अधिकृत कूरियर्स, कोचिन आई सी टी Authorised Couriers, Cochin ICT.
6. ई डी आई अनुभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु EDI for uploading in the website.
7. सूचना पट्ट Notice Board